देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
रेफरेंस संख्या –2021/ak/01
E-Newsletter, Issued in Public Interest
सोमवार, 9 अगस्त 2021

अवैध खनन के विरुद्ध आमजन

भाग-1

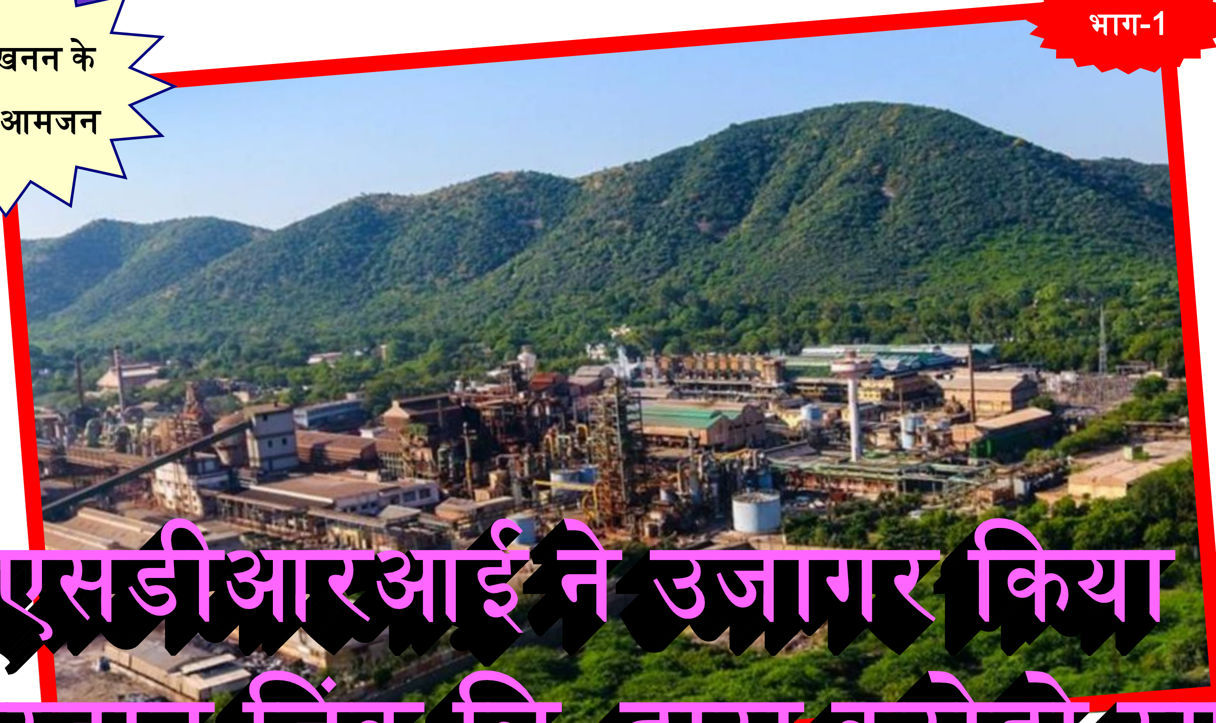

एसडीआरआई ने उजागर किया हिंदुस्तान ज़िंक लि. द्वारा करोड़ो रुपयों की रॉयल्टी चोरी का मामला!!!

खनिज विभाग के अनुसार कंपनी ने चाँदी और केडमियम की सही मात्रा नहीं बता कर 2500 करोड़ तथा लेड-जिंक की सही मात्रा नहीं बता कर की 1113.63 करोड़ की रॉयल्टी चोरी!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

Times of India, Jaipur **16 June 2020**

SDRI unearths royalty evasion of ₹2,500 crore by mining firm

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The State Directorate of Revenue Intelligence has claimed to have unearthed a royalty evasion of Rs 2,500 crore from Hindustan Zinc Limited (HZL), the largest mining company in the state.

Following an investigation, the SDRI intimated about it to the state mining department which has now given a notice to the company.

According to SDRI sources, HZL is operating five mines in Rampura, Aguncha (Bhilwara), Sindesar Khurd, Rajpura Dariba (Rajsamand), Jawar (Udaipur) and Kayad (Ajmer) for the exploration of lead-zinc in the state. In addition to lead-zinc, silver and cadmium are also obtained as a by-product.

"Under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, the company involved in mining has to declare the minerals and by-products derived from quarrying to the Central Government Department of Mines Bureau and the State Government Department of Mines and Geology," said an officer of SDRI on condition of anonymity on Monday.

SDRI in its detailed investigation found that the exact quantity of silver and cadmium received by the company as a by-product for the past several years was not reported by HZL to the state government. Officials added that the production data of HZL from the year 2012-13 to 2017-18 had non-uniformity. "The production data of the company that was sent to Indian Bureau of Mines (IBM) of the central government and to state government's mines and geology department lacked uniformity. With documentary evidences we found that the data was being manipulated by the company. Based on our investigation, the additional director, mines (vigilance) has sent a notice to HZL on May 20. The company is supposed to pay the royalty within 30 days of receiving the notice," Sanjiv Singh, director general, SDRI told TOI on Monday.

First India
2ND FRONT 08
JAIPUR | TUESDAY, JUNE 16, 2020

Notice to Vedanta for alleged royalty theft

Kashiram Choudhary

vedanta
transforming elements

Jaipur: The premier zinc mining and manufacturing company of India - Hindustan Zinc Limited aka Vedanta has allegedly indulged in royalty theft from state government. In past five years, the company mined cadmium along with zinc, and it is alleged that the information of this mining was not given to state government. The mining department has been given a report in this regard by State Directorate of Revenue Intelligence claiming misrepresentation in statistic and on the basis of report, mining department has issued a notice to the company of recovery of Rs 2,500 crore.

The SDRI has registered a preliminary investigation report against Vedanta and handed the report of alleged royalty theft of Rs 2,500 crore to mining department. Based on this report, a recovery notice has been issued to Vedanta, which is the biggest lead and zinc mining company in Rajasthan.

As per MMDR Act 1957, mining company has to inform Indian Bureau of Mining of Central government and mining and geology department of state government about minerals and by products mined in any state. SDRI conducted a suo-moto investigation wherein it was alleged that for past several years, company records do not show right quantity of by-products - silver and cadmium- which has allegedly caused a royalty loss of Rs 2,500 crore to state. SDRI studied production details of Hindustan Zinc Limited from 2012-17 and then studied statistics of IBM and mining and geology department of state govt when data was, allegedly, not found to be corresponding, it was claimed that Vedanta has misrepresented quantity of silver. IBM was told more production while mining department was told of lesser and it is alleged that company hid information about mining 3.65 lakh kg of silver which has resulted in the alleged exchequer loss to government. Thus mining department has served a 30 day notice to company asking for right information about royalty, failing which the recovery will be done.

समाचार पत्रों मे प्रकाशित 2500 करोड़ और 1113 करोड़ के राजस्व चोरी के मामले

First India
2ND FRONT 08
JAIPUR I TUESDAY, JULY 13, 2021

RAIDS AT HINDUSTAN ZINC LIMITED

SDRI UNEARTHS ₹1,113 CR REVENUE THEFT FROM HZL!

Vimal Kothari

Udaipur: In what could be termed as a major action taken by the SDRI on Monday, a revenue theft of whopping Rs 1,113 crore was unearthed at the Hindustan Zinc Limited. The company's sites at Bhilwara, Rajsamand, Udaipur and Ajmer districts were raided, where the issue pertaining to embezzlement in royalty payment came to light.

State Directorate of Revenue Intelligence has registered a major success in detecting royalty evasion by the state's biggest mining company Hindustan Zinc Limited, which is the largest producer of lead and zinc in the state. As per the MMDR Act, 1957 a mining company has to declare the amount of mineral and its by-products extracted lo Indian Bureau of Mines (IBM) of the Central Government and Department of Mines and Geology (DMGR) of the State Government.

A suo-moto investigation by SDRI under the supervision of Director General of SDRI, Anand Swaroop, was initiated and a case has been registered after extensive in-house data analytics, which shows that for the last few years, this company has not been reporting the actual amount of lead and zinc extracted from

—FILE PHOTO

the mines. This has resulted in the revenue loss of Rs. 1,113 crore. SDRI teams compared the data provided by Hindustan Zinc Limited to IBM and DGMR and also that data which the company wilfully declared in its own annual reports." Notably, the data from the years 2013-14 to 2018-19 was checked by the SDRI.

After analysis it was found that there was no uniformity in the provided data and "on analysing the difference of the three declared amounts of lead and zinc produced, it was found that the company has declared less production in DGMR than what it has declared in the IBM."

It is evident that the state government collects royalty on the amount of mineral declared by the company. The audit and analysis wing conducted a thorough analysis of the available data and detected this misrepresentation of data by the company. Meanwhile, a detailed report of this case has been sent to Department of Mines and Geology (DMGR) for further action.

Notably, highly placed sources reveal that the data from 2018-19 onwards is yet to be investigated. Now the state Mining Department will have to be quick on its feet and start a bid to realise the lost revenue.

राजस्थान पत्रिका 14
जयपुर, मंगलवार, 16 जून, 2020

विस्तृत खबर के लिए पढ़ें... राजस्थान पत्रिका patrika.com

हिंदुस्तान जिंक को 2500 करोड़ का नोटिस

जयपुर. राजस्थान के खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को खनिज चांदी की रॉयल्टी अपवंचना के लिए 2500 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया है। विभाग में नोडल अधिकारी (खान) अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) दीपक तंवर ने हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर को 30 दिन का वसूली नोटिस दिया है। इस अवधि में कंपनी की ओर से गत दस वर्षों की घोषित चांदी पर दी गई रॉयल्टी की सही सूचना खान विभाग को प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में 2500 करोड़ रुपए की मांग कायम कर वसूली की जाएगी। एसडीआरआइ में दर्ज प्रकरण में की गई विस्तृत जांच में पता चला है कि कंपनी पिछले कई सालों से उपउत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले चांदी एवं कैडमियम की सही मात्रा राज्य सरकार को सूचित नहीं कर रही थी।

दैनिक भास्कर | 16-Jun-2020 जयपुर Page -2

एसडीआरआई ने पकड़ी चोरी, खान विभाग को वसूली के आदेश

हिन्दुस्तान जिंक को रॉयल्टी केस में 2500 करोड़ रु. वसूली का नोटिस

भास्कर न्यूज़ | जयपुर

प्रदेश की सबसे बड़ी लेड और जिंक की खननकर्ता कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर ढाई हजार करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली गई है। रॉयल्टी चोरी प्रकरण से जुड़े मामलों में एसडीआरआई ने खान विभाग को इसकी वसूली के आदेश दिए हैं। इसके बाद खान विभाग ने हिंदुस्तान जिंक को ये पैसे जमा कराने का नोटिस जारी कर दिया है। हिंदुस्तान जिंक कंपनी राज्य सरकार को उप उत्पाद (बाई प्रॉडक्ट) के रूप में प्राप्त होने वाली चांदी एवं कैडमियम की सही मात्रा नहीं बता [illegible] से 2017-18 तक ही राज्य सरकार को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चांदी के 3,64,510 किलोग्राम उत्पादन की कम घोषणा की गई है। इसका कुल मूल्य लगभग 2500 करोड़ रुपए होता है। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक कम प्राप्त की गई रॉयल्टी के वसूली हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर को 30 दिवस का वसूली नोटिस जारी किया गया है। 30 दिवस में कंपनी द्वारा गत 10 वर्षों की घोषित चांदी पर दी गई रॉयल्टी की सही सूचना खान विभाग को प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में 2500 करोड़ रुपए की [illegible]

क्या है चाँदी की रॉयल्टी राशि 2500 करोड़ का मामला?

राजस्थान मे कर चोरी के मामलों का पता लगाने वाली जांच एजेंसी एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2020 मे की गयी विस्तृत जांच के अनुसार बताया गया कि राज्य मे खनिज लेड एवं जिंक के खनन हेतु मैᵒ हिंदुस्तान जिंक लि. के पक्ष मे जिला भीलवाडा,उदयपुर,राजसमंद व अजमेर मे क्रमश: रामपुरा-आगुचा,सिदेसरखुर्द,जावर,राजपुरा-दरीबा एवं कायद मे खनन पट्टे स्वीकृत किए गए है|जिनमे से उत्पादित खनिज लेड एवं जिंक का शुद्धिकरण इन खनन क्षेत्रों के नजदीक ग्राम चंदेरिया दरीबा एवं देवारी मे स्थापित स्मेल्टिंग प्लांट मे किया जाता है|उक्त स्मेल्टरों से लेड एवं जिंक के अतिरिक्त उप-उत्पाद के रूप मे चाँदी,केडमियम एवं सल्फ्यूरिक एसिड भी प्राप्त होता है|मैᵒ हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा उक्त उत्पादित धातुओं के साथ उप उत्पाद चाँदी एवं केडमियम की मात्रा की सूचना खान विभाग एवं भारतीय खान ब्यौरो को रिटर्न के माध्यम से प्रेषित की जाती है|उक्त सूचना का प्रकाशन खान विभाग,उदयपुर एवं भारतीय खान ब्यौरो,नागपुर द्वारा क्रमश:उनकी वेबसाइट एवं वार्षिक पुस्तिका मे किया जाता है|एसडीआरआई द्वारा वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि मे खान विभाग की वेबसाइट एवं भारतीय खान ब्यौरो की वार्षिक पुस्तिका मे दर्शाये गए उक्त उप उत्पाद चाँदी और केडमियम के आंकड़ों मे अंतर पाया|जांच के अनुसार कंपनी द्वारा विभाग को चाँदी की कम और केडमियम की अधिक रॉयल्टी का भुगतान किया गया है|इस प्रकार कंपनी द्वारा 2537 करोड़ की रॉयल्टी की चोरी की गयी|

एसडीआरआई की इस जांच पर खान विभाग द्वारा मई 2020 से अब तक 4 नोटिस जारी किए जा चुके है|इसी बीच कंपनी द्वारा जवाब दिया गया कि चाँदी उत्पादन के साथ आयात खनिज से भी चाँदी उत्पादन किया है|बहरहाल सरकार द्वारा इस मामले मे विभाग को जांच कर 30/08/2021 तक जांच/कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया है|

क्या है लेड-जिंक की रॉयल्टी राशि 1113.63 करोड़ का मामला?

एसडीआरआई द्वारा चाँदी की रॉयल्टी चोरी के संबंध मे बनाए गए प्रकरण मे दर्शाये गए समान तथ्यों के आधार पर ही लेड-जिंक की रॉयल्टी चोरी का मामला बनाकर गत माह को खान निदेशालय को भेजा गया|जिसमे कंपनी द्वारा 111.63 करोड़ की रॉयल्टी चोरी का मामला बनाया गया है|इस मामले मे भी विभाग को जांच कर 30/08/2021 तक जांच/कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया है|

ग्रीन बेल्ट पर हिंदुस्तान जिंक की सामने आई अनियमितताएं

चित्तौड़गढ़ (उत्तम हिन्दू न्यूज़): राजस्थान में चित्तौड़गढ़ स्थित हिंदुस्तान जिंक उद्योग को ग्रीन बेल्ट के लिए दी गई भूमि को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के नियमों के विपरीत उपयोग में लेने के साथ अन्य कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। एक प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट में ये अनियमितताएं सामने आई हैं जिसमें ग्रीन बेल्ट पर अन्य कई निर्माणों के साथ फ्यूमर प्लांट लगा लिया तो जिंक की एक यूनिट बिना रूपांतरण के कृषि भूमि पर वर्षों से संचालित की जा रही है।

प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रीन बेल्ट की भूमि का नियम विपरीत उपयोग करने के अलावा प्रदूषण तथा अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कुछ समय से ग्रीलिया ग्राम के निवासी जिनकी भूमि अवाप्त की गई थी लगातार आंदोलनरत थे। इस कारण उपखंड अधिकारी गंगरार की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई जिसमें प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, तहसीलदार गंगरार, गंगरार एवं पुठोली के पटवारी तथा राजस्व वृत गंगरार एवं कुंवालिया के भू अभिलेख निरीक्षक को शामिल किया गया था।

समिति ने गत वर्ष अक्टूबर में एक सप्ताह तक लगातार विवादित भूमि एवं संयत्र का निरीक्षण किया और 22 बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कर उपखंड अधिकारी को सौंपी। समिति में सूचना के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था जिसका रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है उसके अनुसार जिंक प्रबंधन ने जहां ग्रीन बेल्ट की भूमि पर अनियमित तरीके से अपने फ्यूमर प्लांट का निर्माण कर लिया गया है तो वहीं जिंक संयंत्र की एक यूनिट बिना भू रूपांतरण के कृषि भूमि पर संचालित की जा रही है। इस रिपोर्ट में खुद राजस्व विभाग की बड़ी खामी सामने आ गई कि सरकार ने जिंक के प्रभाव में आकर चारागाह के साथ अपने ही नाले (प्राकृतिक जल स्रोत) को ही बेच दिया है और आज की खातेदारी नकल में हिंदुस्तान जिंक को किसान घोषित कर दिया।

रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख बिंदुओं में बताया गया कि वेदांता ग्रुप के यहां स्थित हिंदुस्तान जिंक संयत्र ने वर्ष 2009 में ग्राम बिलीया की 109 हैक्टेयर भूमि ग्रीन बेल्ट के नाम पर ग्रामीणों के विरोध के बावजूद अवाप्त कर ली गई थी जिस पर नियमानुसार आधी से अधिक भूमि पर कोई पौंधारोपण नहीं किया गया और जहां पौंधारोपण किया गया है वे पौंधे करंज के पौंधे है जो प्रदूषण अवशोषक पौंधों की श्रेणी में नहीं आते हैं और इनकी ऊंचाई भी मात्र एक से दो मीटर है जबकि नियमानुसार ऊंचाई 15 से 20 मीटर होनी चाहिए थी, पौंधों की संख्या प्रति हैक्टेयर 2000 की बजाय केवल 1100 पाई गई इसके अलावा पौंधारोपण में अन्य कई खामियां पाई गई।

पौंधारोपण के साथ रिपोर्ट में जो ग्रीन बेल्ट भूमि के दुरुपयोग के महत्वपूर्ण बिंदू उल्लेख किये गये हैं उनमें बताया गया कि जिंक प्रबंधन ने ग्रीन बेल्ट भूमि पर 10 मीटर चौड़ी एवं तीन किलोमीटर लंबी सड़कें बना ली है जिन पर रात दिन जहरीले वेस्ट मटैरियल जीरोफिक्स से भरे डम्पर गुजरते हैं और इस जहरीले वेस्ट की डम्पिंग भी ग्रीन बेल्ट भूमि पर बने तीन भण्डारण क्षेत्रों पर ही खुले में की हुई है जिससे यह उड़कर आसपास की कृषि भूमि को भी जहरीला बना रहा है तो इससे रिसने वाले जहरीले पानी को भी पास के नाले में ही विसर्जित किया जा रहा है जो भूमि के साथ पानी को भी जहरीला कर रहा है। इसके अलावा यहीं पर जिंक ने कोयला भण्डारण भी किया हुआ है। जबकि इसी भूमि पर एक पाईप लाईन भी भूमिगत डाल दी है। उपखंड अधिकारी ने अग्रिम कार्रवाई के लिए इस रिपोर्ट को जिला कलेक्टर को सौंप दी है जिसे राज्य सरकार को भेज दी गई।

अवैध और इजाजत से ज्यादा खनन पर जिंक पर 7.5 करोड़ की पैनल्टी

8 और 5 वर्ष पुराने दो मामलों की ऑडिट पैरा में खान विभाग ने पकड़ी थी अनियमितताएं

By: jitendra paliwal
Updated: 21 Nov 2020, 11:20 AM IST Rajsamand, Rajsamand, Rajasthan, Indi

राजसमंद. हिन्दुस्तान जिंक की दरीबा, सिंदेसर खुद और राजपुरा स्थित इकाइयों में अवैध मिनरल खनन और अनुमति से ज्यादा खनन के मामले में खान विभाग ने कुल साढ़े सात करोड़ रुपए की पैनल्टी के दो डिमांड नोट जारी किए हैं।

सहायक खनि अभियंता (वसूली), राजसमंद द्वितीय ने रेलमगरा तहसील क्षेत्र में स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा व सिंदेसर खुद इकाइयों को जारी नोटिस में बताया कि वर्ष 2015-16 में अनुमोदित खनन योजना के तहत क्षमता से ज्यादा उत्पादन किया गया। यह अनियमितता ऑडिट पैरा में पकड़ में आई, जिसके आधार पर अवैध खनन का 4 करोड़ 98 लाख 14 हजार 973 रुपए की पैनल्टी लगाई गई है।

इसी तरह तरह हिन्दुस्तान जिंक राजपुरा, दरीबा और सिंदेसर खुर्द इकाई को एक अन्य नोटिस मैसनरी स्टोन के अवैध खनन को लेकर जारी किया गया है। बताया कि वर्ष 2013-14 में मैसनरी स्टोन के अवैध खनन करने का मामला पकड़ में आया। ऑडिट पैरा के मुताबिक बिना अनुमति के मैसनरी स्टोन खोदकर लीज एरिया में अप्रोच रोड बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जिंक ने इस मामले में दो करोड़ 49 लाख 90 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई है।

पैसा जमा कराने के निर्देश

खान विभाग ने दोनों डिमांड नोट हिन्दुस्तान जिंक को जारी कर पैसा जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि इससे पहले भी दोनों मामलों में जिंक को कई नोटिस जारी किए गए थे, जिसे लेकर जिंक की ओर से दिए जवाब में उन्होंने विभाग की ओर से तय अनियमितताओं के आरोपों को सही नहीं माना।

आईबीएम ने भी माना अवैध खनन

भारतीय खान ब्यूरो ने भी इन मामलों को लेकर अदालती निर्देशों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। ऑडिट पैरा में आईबीएम ने अवैध व अनुमति के विपरीत खनन की अनियमितता का हवाला दिया था।

हिन्दुस्तान जिंक को दो मामलों में कुल साढ़े सात करोड़ रुपए की पैनल्टी जमा करवाने को कहा है। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे हैं। जो भी होगा, अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

ललित बाछरा, खनि अभियंता, द्वितीय, राजसमंद

कंपनियों के लिए सख्त सीएसआर नीतियां बनाई जाएं: दीया

जयपुर | संसद के मानसून सत्र के दौरान सांसद दीया कुमारी ने कम्पनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के क्षेत्र में सुधार का मुद्दा उठाते हुए कंपनियों के लिए सख्त सीएसआर नीतियां बनाने की मांग की। दीया कुमारी ने कहा कि राजसमंद में हिंदुस्तान जिंक और नुवोको सीमेंट जैसे कई उद्योग हैं जो वर्षों से स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए उनका योगदान पर्याप्त नहीं दिया है। सीएसआर का मामला पूरी तरह से कंपनियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कंपनियों के लिए ऐसी सख्त सीएसआर नीतियां होनी चाहिए, जिससे कि कंपनियों को अपने फंड का एक निश्चित प्रतिशत स्कूल, सड़क, अस्पताल आदि का निर्माण के लिए खर्च करना पड़े।

राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों मे हिंदुस्तान ज़िंक मे हो रही अनियमितताओं से संबन्धित प्रकाशित खबरे!!!

दरीबा, सिन्देसर खुर्द व भीलवाड़ा के आगूचा माइंस में एसडीआरआई की जांच

By Editorial Team   December 17, 2018   राजसमंद   0 Comments

राजसमंद. राजसमंद के दरीबा, सिन्देसर खुर्द एवं भीलवाड़ा जिले के आगूचा में हिन्दुस्तान जिंक की माइंस में 90 देसी- विदेशी व्यवसायिक अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है। राज्य राजस्व आ सूचना ब्यूरो जयपुर के दल की जांच में प्रथम दृष्टया 90 वाहन ऐसे थे, जिनका न तो परिवहन विभाग में पंजीयन है और न ही टैक्स जमा है। इससे राज्य सरकार को करीब 45 करोड़ रुपए की चपत लगी है। गंभीर अनियममितता उजागर होने पर ब्यूरो ने राजसमंद और भीलवाड़ा के जिला परिवहन अधिकारियों से परिवहन टैक्स की भौतिक रिपोर्ट मांगी है। इस पर परिवहन विभाग द्वारा हिन्दुस्तान जिंक की तीनों माइंसों को नोटिस जारी कर वाहनों की सूची के साथ टैक्स को लेकर जवाब मांगा है। यह खुलासा राजस्थान राज्य राजस्व आ सूचना ब्यूरो (एसडीआरआई) जयपुर द्वारा हिन्दुस्तान जिंक की दरीबा, सिन्देसर खुर्द और भीलवाड़ा जिले की आगूचा माइंस की जांच रिपोर्ट से हुआ। एसडीआरआई जयपुर ने 27 नवम्बर 2018 को जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद व भीलवाड़ा को पत्र भेजकर भौतिक रिपोर्ट मांगी। इस पर परिवहन विभाग ने हिन्दुस्तान जिंक से तीनों ही खदानों में चल रहे वाहन की सूची के साथ टैक्स जमा व बकाया की रिपोर्ट मांगी है। एक सप्ताह बाद भी जिंक द्वारा भौतिक रिपोर्ट परिवहन विभाग में प्रस्तुत नहीं की है।

एसडीआरआई ने प्रसंज्ञान लेते हुए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की भीलवाड़ा के जिले आगूचा माइंस के आरडी कॉम्पलेक्एस में संचालित वाहनों की सूची तलब की, जिसमें ओपन कास्ट करने वाले वाहनों की सूची में 110 वाहन और अंडरग्राउंड खनन में 117 वांनल संचालित पाए गए। पहली सूची में मोटर ग्रेडर अपंजीकृत पाया गया, जबकि दूसरी सूची में 46 वाहन बिना टैक्स चुकाए पाए गए। इसके अलावा दरीबा और सिन्देसर खुर्द खदानों में भी ओपन कास्ट एवं अंडर ग्राउंड खनन में चल रहे वाहनों की दो अलग अलग सूचियां तैयार की गई। ऑपन कास्ट में 129 वाहन व अंडर ग्राउंड में 46 वालन चल रहे हैं, जिसमें पहली सूची में ३७ वाहन और दूसरी सूची में 7 वाहन बिना कर चुकाए संचालित पाए गए। हिन्दुस्तान जिंक की गंभीर अनियमितता उजागर होने पर एसडीआरआई टीम ने वसूली का नोटिस जारी करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया।

एक वाहन पचास लाख का टैक्स

व्यवसायिक वाहनों का वन टाइम अलग अलग टैक्स निर्धारित है। औसतन प्रत्येक वाहन का टैक्स पचास लाख रुपए है। 90 वाहनों बिना टैक्स चुकाए पाए गए हैं, जिनका कुल करीब 45 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया चल रहा है। व्यवसायिक खनन वाहनों का टैक्स एक ही बार टैक्स जमा किया जाता है।

परिवहन विभाग ने पकड़े थे वाहन

दो साल पहले परिवहन विभाग राजसमंद द्वारा पहले दरीबा में हिन्दुस्तान जिंक की अंडरग्राउंड माइंस में छापामार कार्रवाई की थी, तब भी दर्जनों वाहन अपंजीकृत पाए गए। बाद में विभाग द्वारा वाहन को जब्त करते हुए बकाया टैक्स जमा कराने के नोटिस जारी किए गए। फिर भी हिन्दुस्तान जिंक व वेदांता कंपनी द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई और परिवहन विभाग में टैक्स जमा नहीं कराया है।

जिंक से मांगी रिपोर्ट

एसडीआरआई जयपुर द्वारा परिवहन टैक्स व वाहनों की भौतिक रिपोर्ट मांगी है। इस पर हिन्दुस्तान जिंक को पत्र भेजकर माइंस में चल रहे सभी प्रकार के वाहनों की सूची के साथ बकाया टैक्स की रिपोर्ट मांगी है।
अनिल पंड्या, जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद

कंपनी पर लग चुके है कई आरोप,लगभग एक दर्जन विभागों की पैनी नजर के बावजूद कंपनी निरंकुश|

आपको बता दें कि विनिवेश के समय और उसके बाद से ही वेदांता ग्रुप के स्वामित्वाधीन हिंदुस्तान ज़िंक लि. विवादों मे रही है|विनिवेश के समय तो कंपनी पर यह आरोप भी लग चुके है कि उसने केवल कबाड़ बेचकर ही कंपनी की देन दारियों को चुका दिया था|

खान विभाग,पर्यावरण विभाग,एनजीटी,परिवहन,उद्योग, एसडीआरआई आदि जैसे करीब एक दर्जन सरकारी विभाग; कंपनी की कार्यप्रणाली पर पैनी नजर जमाये हुए है और कई जाँचो के बाद कई नोटिस भी जारी किए जा चुके है परंतु कंपनी की ऊंची पहुँच और पैसो की चमक के आगे यह सभी नोटिस कागज के शेर साबित हो रहे है|

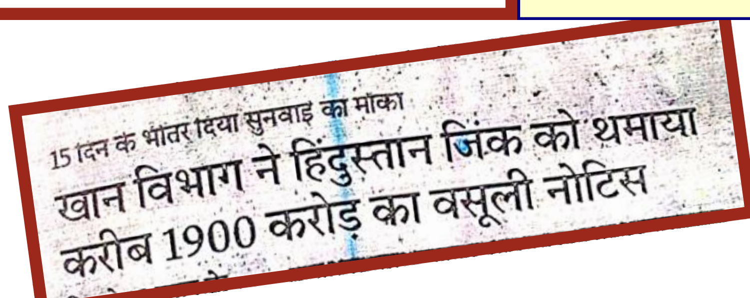
15 दिन के भीतर दिया सुनवाई का मौका
खान विभाग ने हिंदुस्तान जिंक को थमाया करीब 1900 करोड़ का वसूली नोटिस

जावर माइंस को बंद बताकर ली छूट, उसी से की करोड़ों की कमाई

स्रोत:-हिंदुस्तान ज़िंक द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट

Hindustan Zinc at a Glance

Upholding a **Rich Legacy**

Incorporated in 1966, we have over five decades of rich experience in zinc-lead mining and smelting. We are the world's sixth largest silver producer. With a reserve base of 114.7 mn MT and mineral resources of 288 mn MT, we have a mine life of over 25 years. Moreover, we are the only integrated producer of zinc, lead and silver in India.

Responsible stewardship, building strong relationships, strategic communication as well as adding and sharing value are the cornerstones of our sustainability framework.

VISION

To be the world's largest and most admired zinc, lead and silver company.

MISSION

- Enhance stakeholder value through exploration, innovation, operational excellence, safety and sustainability
- Be the lowest cost producer
- Maintain market leadership and enhance customer delight

2nd LARGEST
Zinc-lead miner globally**

4th LARGEST
Zinc-lead smelter globally**

6th LARGEST
Silver producer globally*

77%
Market share in India's primary zinc industry

Products and Operations

A Vast Suite **of Offerings**

Products

REFINED ZINC (Zn)	REFINED LEAD (Pb)	REFINED SILVER (Ag)
688,286 MT Production volume*	181,370 MT Production volume*	610 MT Production volume*
₹12,645 CR Revenue*	₹2,699 CR Revenue*	₹2,445 CR Revenue*

क्या कहती है हिंदुस्तान ज़िंक की वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट?

कंपनी द्वारा जारी की गयी वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ज़िंक लेड का खनन करने वाली विश्व की दूसरी,जिंक लेड का स्मेल्टिंग करने मे विश्व की चौथी एवं चाँदी के उत्पादन मे विश्व की छट्ठी कंपनी है|भारत की ज़िंक इंडस्ट्री मे इसका शेयर 77% है|कंपनी द्वारा 610 मेट्रिक टन चाँदी का उत्पादन किया गया जिससे 2445 करोड़ का रेवेन्यू एकत्रित किया गया|

रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का टर्नओवर 18561 करोड़ एवं टोटल प्रॉफ़िट(आफ्टर टेक्स) 6805 करोड़ रहा|कंपनी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी के पर टोटल प्रॉफ़िट(आफ्टर टेक्स) का 1.93%खर्च करते हुए कुल 131.65 करोड़ सामाजिक दायित्वों पर खर्च किए|

राजसमंद की सांसद श्रीमति दिया कुमारी जता चुकी है कंपनी की सीएसआर पर रोष|

संसद के मानसून सत्र मे राजसमंद की सांसद श्रीमति दिया कुमारी द्वारा सीएसआर का मुद्दा उठाते हुए सख्त कानून बनाने की मांग की है|उनके अनुसार उनके संसदीय क्षेत्र मे वर्षो से स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रही हिंदुस्तान ज़िंक और नुवोकों सीमेंट द्वारा अपने दायित्वों के अनुरूप क्षेत्र के विकास मे योगदान नहीं दिया जा रहा है|

जवाब मांगते सवाल?

1. जब कंपनी के सभी पांचों माईनिंग यूनिट और तीनों स्मेल्टर राजस्थान मे है तो कंपनी को प्रोसेसिंग और रिफाईनिंग यूनिट उत्तराखंड मे लगाने की क्या आवश्यकता थी?आखिर क्यूँ तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा इस पर आपत्ति नहीं की गयी?

2. तत्कालीन उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को उत्तरखंड मे प्रोसेसिंग और रिफाईनिंग यूनिट उत्तराखंड मे लगाने की एवज मे क्या-क्या रियायते दी गयी थी?उत्तरखंड मे प्रोसेसिंग और रिफाईनिंग यूनिट स्थापित करने के बाद से आज तक कितना-कितना माल किस धातु के रूप मे प्रोसेसिंग और रिफाईनिंग किया गया?

3. यदि कंपनी यह दावा करती है कि वह आयातित खनिज से भी चाँदी उत्पादन करती है तो किन देशो से, कितनी मात्रा मे,किस रूप मे,किस माध्यम से कुल खनिज आयात किया जाता है?क्या आयातित वस्तुओं पर नजर रखने वाली जांच एजेंसी यथा कस्टम विभाग को इस सम्पूर्ण मामले की जानकारी है?

4. एसडीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि के बीच कंपनी द्वारा 2500 करोड़ की सिल्वर रॉयल्टी और 1113.63 करोड़ की लेड-ज़िंक की रॉयल्टी चोरी होना बताया है,यदि एसडीआरआई की यह जांच रिपोर्ट सही है तो क्या यह रॉयल्टी चोरी के साथ साथ इन्कम टेक्स की चोरी का मामला नहीं बनता है,क्यूंकि जिस चाँदी के उत्पादन को सार्वजनिक ही नहीं किया गया हो तो उसकी खपत कहाँ और कैसे बताई गयी होगी?

5. तो क्या इस मामले मे राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को मिल कर इस बड़ी टेक्स चोरी के मामले की जांच नहीं करनी चाहिए?

6. क्या कंपनी द्वारा खान विभाग और भारतीय खान ब्यौरो को प्रस्तुत किए जाने वाले माइनिंग प्लान से अलग हटकर अनधिकृत रूप से माइनिंग तो नहीं की जा रही है?क्या यह खान विभाग और भारतीय खान ब्यौरो के नियमों के उल्लंघन के साथ साथ पर्यावरण विभाग द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के उल्लंघन का संगीन मामला तो नहीं है?

7. विनिवेश से पूर्व जब हिंदुस्तान ज़िंक लि. सरकार के अधीन थी उस समय क्या जिंक अयस्क से चाँदी निकाली जा रही थी?उस समय जिंक अयस्क की स्लरी का स्टॉक कितना था और उसे कहाँ कहाँ डंप किया गया था?

8. क्या यह संभव है कि वेदांता ग्रुप द्वारा हिंदुस्तान ज़िंक लि. को टेकओवर करने से पहले संसाधनों के अभाव मे जिस जिंक अयस्क के स्टॉक से चाँदी नहीं निकाली जा रही थी,उस पुराने डंप किए गए माल को प्रोसेसिंग कर,वर्तमान मे चाँदी निकाली जा रही हो?

9. हिंदुस्तान ज़िंक लि. पर बकाया रॉयल्टी,करों के कितने मामले वर्तमान मे विभिन्न न्यायालयों मे लंबित है?

10. राज्य सरकार द्वारा हिंदुस्तान ज़िंक लि. को कितनी जमीन अवार्ड की गयी उस अवार्ड की गयी जमीन के बदले क्या स्थानीय निकायों मे विकास कार्यों के लिए एमओयू की शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा वास्तव मे विकास कार्य किए जा रहे है अथवा नहीं?यदि किए जा रहे है तो उसके बावजूद स्थानीय निवासियों मे रोष क्यूँ?

11. क्या कंपनी की खानों मे किए जा रही वैध/अवैध ब्लास्टिंग से स्थानीय निवासियों के जानोमाल को तो हानि नहीं पहुचाई जा रही?क्या वैध/अवैध ब्लास्टिंग से स्थानीय पर्यावरण और परिस्थितिकी पर तो कोई विषम प्रभाव नहीं पड़ रहा है?

12. क्या राजसमंद सांसद श्रीमति दिया कुमारी के दावों मे सच्चाई है कि कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विकास मे आशानुरूप सहयोग नहीं किया जा रहा है?अन्य संसदीय क्षेत्रों मे स्थित कंपनी द्वारा की जा रही सीएसआर कार्यों की क्या स्थिति है?

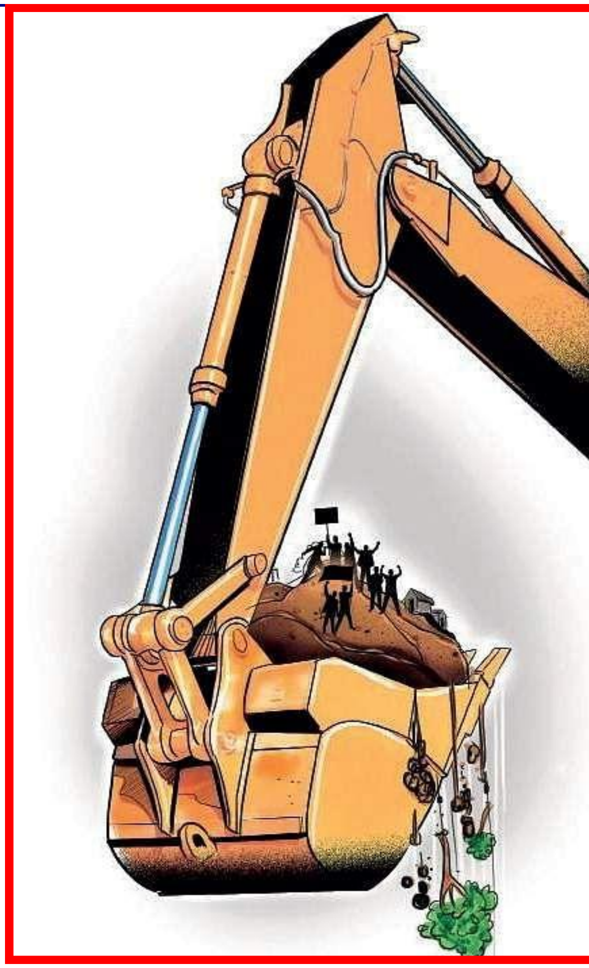

13. यदि खान विभाग,एसडीआरआई द्वारा गलत तथ्यों/आंकड़ों के आधार पर नोटिस जारी कर एवं समाचार पत्रों मे मीडिया रिपोर्ट जारी कर कंपनी की छवि भूमिल की गयी है तो कंपनी द्वारा अपनी साख बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से इसका खंडन क्यूँ नहीं किया जाता?

यदि वाकई हिंदुस्तान ज़िंक द्वारा करोड़ो रुपयो कि रॉयल्टी चोरी की गयी है और राज्य सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक कंपनी से इन करोड़ो रुपयों की वसूली की जाती है तो सरकार को अन्य जन कल्याण योजनाओं मे पैसा खर्च करने मे किसी के आगे हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे|राजस्थान की जनता का भी यह दायित्व है कि वह सरकार पर ऐसी बड़ी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का दबाव डाले|आखिर सरकारी पैसे का हिसाब मांगना जनता की नैतिक जिम्मेदारी है|

आप अपने अमूल्य सलाह,सुझाव,अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा कर सकते है|

जवाब दो सरकार

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012

मोबाइल:-9828346151,ईमेल:-jawabdosarkar01@gmail.com